



उत्तर प्रदेश सरकार

2019-2020 के लिये

**अनुपूरक अनुदानों
की
मांगें**

(दिसम्बर, 2019)

(जैसा कि विधान-मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयीं)

उत्तर प्रदेश सरकार
2019-2020 के लिये
अनुपूरक अनुदानों
की
मांगें

(दिसम्बर, 2019)

वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिये द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तावनिक टिप्पणी

किसी वित्तीय वर्ष में व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई धनराशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पायी जाने पर उस अतिरिक्त व्यय की प्राक्कलित धनराशि के लिये विधान मण्डल के समक्ष अनुपूरक अनुदान की मांग का प्रस्तुतिकरण संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार अभीष्ट है। व्यय की ऐसी नई मदों के सम्बन्ध में भी अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत करनी होती है, जिनके लिए मूल आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं होती। अनुपूरक अनुदान की मांग की उस समय भी आवश्यकता होती है, जब सम्बन्धित व्यय के लिए धन उपलब्ध हो, पर व्यय नई मदों के लिए हो या मूल योजना में इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया हो कि उसे विधान-मण्डल के सामने स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक हो। ऐसी मांग "प्रतीक मांग" कहलाती है जो प्रचलित वित्तीय व्यवस्था का एक स्वीकृत अंग है।

2. वित्तीय वर्ष 2019–2020 की द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांग में, अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि, अनुपूरक अनुदान की मांग की धनराशि, जिसकी अब आवश्यकता है तथा उससे सम्बन्धित संक्षिप्त टिप्पणियाँ भी सम्मिलित हैं। विनियोग लेखों के प्रयोजन के लिए लेखा शीर्षों के अनुसार सविस्तार विवरण भी अनुदानवार दिया गया है। अनुपूरक अनुदान की मांग मुख्यतया इसलिए की जा रही है कि आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि, व्यय की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के सापेक्ष कम पड़ने की सम्भावना है। इनमें से कुछ नई मदों पर व्यय करने के लिए भी हैं जिनके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान की मांग में "उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि" से स्वीकृत किए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं, जिसका उल्लेख सम्बन्धित अनुदान के अन्तर्गत टिप्पणी में किया गया है। विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत मांगों का विवरण अगले पृष्ठों पर अनुसूची में दिया गया है।

3. प्रस्तावित अनुपूरक मांग ₹ 421085.40 लाख हैं, जिसमें राजस्व लेखा ₹ 223415.70 लाख तथा पूंजी लेखा ₹ 197669.70 लाख है। अनुपूरक मांग ₹ 421085.40 लाख में राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिये ₹ 7310.31 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

4. उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा-6(5) के अधीन अपेक्षित विवरण पत्र भी इन माँगों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

अग्रहायण 26, शक संवत्, 1941
तदनुसार
17 दिसम्बर, 2019

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

**उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004
की धारा 6(2) के अधीन अपेक्षित विवरण**

अधिनियम की धारा 6(2) में निम्नवत् व्यवस्था है –

"वित्त विभाग का प्रभारी मंत्री प्रत्येक अर्द्ध वर्ष पर बजट से सम्बन्धित प्राप्तियों और व्यय के रूख, बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले उपचारी उपायों का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकनों के परिणाम को विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखेगा । पुनर्विलोकन रिपोर्ट ऐसे प्रपत्र में होगी जैसा विहित किया जाय ।"

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्तीय वर्ष 2019–2020 की प्रथम छमाही के आँकड़ों के आधार पर वर्ष 2019–2020 की प्रथम छमाही के लिये पुनर्विलोकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है ।

वर्ष 2019–2020 की प्रथम छमाही हेतु पुनर्विलोकन रिपोर्ट –

(₹ करोड़ में)

मद	बजट अनुमान 2019–2020	महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आँकड़े 2019–2020 (30.09.2019 तक)	बजट अनुमानों के सापेक्ष प्रतिशत के रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)
(अ) गैर उधार प्राप्तियाँ			
1 राज्य का स्वयं का कर	140176.00	59637.82	42.54
2 करेतर राजस्व	30632.96	4632.29	15.12
3 केन्द्रीय करों में राज्यांश	152863.17	55891.74	36.56
4 केन्द्र सरकार से अनुदान	68062.27	13498.47	19.83
कुल राजस्व प्राप्तियाँ (योग – 1, 2, 3 एवं 4)	391734.40	133660.32	34.12
5 उधार एवं अग्रिम की वसूली	5681.60	238.53	4.20
कुल गैर उधार प्राप्तियाँ (योग – 1, 2, 3, 4 एवं 5)	397416.00	133898.85	33.69
(ब) व्यय			
6 राजस्व व्यय	363957.04	134245.84	36.89
7 पूंजीगत परिव्यय	77641.12	20231.37	26.06
8 उधार एवं अग्रिम	2728.46	1317.87	48.30
कुल व्यय (ऋणों का प्रतिदान छोड़कर) (योग – 6, 7 एवं 8)	444326.62	155795.08	35.06
(स) राजस्व बचत	27777.36	(-) 585.52	----
(द) राजकोषीय घाटा(-)/बचत(+)	(-) 46910.62	(-) 21896.23	----

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004
की धारा-6(5) के अधीन अपेक्षित विवरण

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004
की धारा-6(5) में निम्नलिखित प्रावधान है -

- 6(5) जब कभी एक या उससे अधिक अनुपूरक प्राक्कलन विधान मण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, राज्य सरकार चालू वर्ष के बजट लक्ष्यों और भावी वर्ष के लिए मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों के सम्बन्ध में अनुपूरक प्राक्कलन के राजकोषीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने के लिये व्यय की तत्सम कमी और / या राजस्व के सम्वर्द्धन को सूचित करने वाला विवरण भी संलग्न करेगी ।

प्रस्तुत अनुपूरक माँगों का कुल आकार ₹ 421085.40 लाख है, जिसमें केन्द्रीय योजनाओं हेतु प्राप्त होने वाले केन्द्राँश की धनराशि ₹ 33053.43 लाख को घटाने के उपरान्त समेकित निधि से होने वाले शुद्ध व्यय भार की धनराशि 388031.97 लाख रूपये है । इस राशि का वित्त पोषण कर एवं करेत्तर राजस्व में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके तथा अनुत्पादक व्यय में कमी करके किया जायेगा ।

वित्तीय वर्ष 2019-2020 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों (द्वितीय किश्त) की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹लाख में)		पृष्ठ संख्या	
			मतदेय	भारित		
1	2	3	4	5	6	
007	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	औद्योगिक विकास मंत्री	राजस्व	96094.00	...	1-3
			पूँजी	81025.00	...	
009	ऊर्जा विभाग	ऊर्जा मंत्री	राजस्व	100000.00	9924.43	4-6
			पूँजी	627.05	147.05	
010	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	उद्यान मंत्री	राजस्व	500.00	...	7
011	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	कृषि मंत्री	राजस्व	2500.00	...	8
014	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	पंचायती राज मंत्री	राजस्व	1884.83	...	9-10
			पूँजी	16348.72	...	
018	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	सहकारिता मंत्री				11
			पूँजी	3200.00	...	
020	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	मुख्य मंत्री	राजस्व		808.06	12
021	खाद्य तथा रसद विभाग	मुख्य मंत्री				13
			पूँजी	303.00	...	
031	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	चिकित्सा शिक्षा मंत्री				14-16
			पूँजी	28000.00	...	
048	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री	राजस्व	2085.00	...	17-18
049	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	मुख्य मंत्री				19
			पूँजी	3221.12	...	
055	लोक निर्माण विभाग (भवन)	लोक निर्माण मंत्री				20
			पूँजी	500.00	...	

वित्तीय वर्ष 2019-2020 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों (द्वितीय किश्त) की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹लाख में)		पृष्ठ संख्या
			मतदेय	भारित	
1	2	3	4	5	6
057	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	लोक निर्माण मंत्री			21
			पूँजी	19697.50	...
060	वन विभाग	वन मंत्री			22-23
			पूँजी	19609.97	...
061	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	वित्त मंत्री	राजस्व	1.00	24
066	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	वित्त मंत्री	राजस्व		884.80
068	विधान सभा सचिवालय	संसदीय कार्य मंत्री	राजस्व	500.00	26
073	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	उच्च शिक्षा मंत्री	राजस्व	1394.96	27
074	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	होमगार्ड्स मंत्री	राजस्व	0.34	28
076	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री			29
			पूँजी	13000.00	...
078	सचिवालय प्रशासन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	500.00	30
081	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री	राजस्व	1194.32	31-33
			पूँजी	288.95	...
083	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री	राजस्व	143.96	34-37
			पूँजी	11701.34	...
086	सूचना विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	5000.00	38

वित्तीय वर्ष 2019-2020 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों (द्वितीय किश्त) की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹लाख में)		पृष्ठ संख्या
			मतदेय	भारित	
1	2	3	4	5	6
		योग : राजस्व	211798.41	11617.29	
		पूँजी	197522.65	147.05	
		योग :	409321.06	11764.34	
		कुल योग :		421085.40	

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
राजस्व लेखा		
क - सामान्य सेवायें		
(क) राज्य के अंग		
2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	68	500.00
योग : 2011		500.00
2013 - मंत्रि परिषद्	78	500.00
योग : 2013		500.00
योग : (क)		1000.00
(ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा		
2049 - ब्याज अदायगियां	09	9924.43
	66	884.80
योग : 2049		10809.23
योग : (ग)		10809.23
(घ) प्रशासनिक सेवायें		
2051 - लोक सेवा आयोग	20	808.06
योग : 2051		808.06
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवायें	61	1.00
योग : 2052		1.00
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें	14	1884.83
	74	0.34
योग : 2070		1885.17
योग : (घ)		2694.23
योग : क		14503.46
ख - सामाजिक सेवायें		
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति		
2202 - सामान्य शिक्षा	73	1394.96
योग : 2202		1394.96
योग : (क)		1394.96
(घ) सूचना तथा प्रसारण		
2220 - सूचना तथा प्रचार	86	5000.00

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	योग : 2220	5000.00
	योग : (घ)	5000.00
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	81	1156.80
	योग : 2225	1156.80
	योग : (ङ)	1156.80
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण		
2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	48	2085.00
	योग : 2235	2085.00
	योग : (छ)	2085.00
	योग : ख	9636.76
ग - आर्थिक सेवायें		
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्य कलाप		
2401 - फसल कृषि कर्म	11	2500.00
	योग : 2401	2500.00
2403 - पशु पालन	81	37.06
	83	127.91
	योग : 2403	164.97
2406 - वानिकी तथा वन्य जीव	10	500.00
	81	0.46
	83	16.05
	योग : 2406	516.51
	योग : (क)	3181.48
(ङ) उर्जा		
2801 - बिजली	09	100000.00
	योग : 2801	100000.00
	योग : (ङ)	100000.00
(च) उद्योग तथा खनिज		
2852 - उद्योग	07	96094.00
	योग : 2852	96094.00

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	योग : (च)	96094.00
	योग : ग -	199275.48
	राजस्व लेखा	223415.70
पूँजीगत लेखा		
क - सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा		
4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय		
	07	8681.00
	55	500.00
	योग : 4059	9181.00
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय		
	07	2344.00
	योग : 4070	2344.00
	योग : क -	11525.00
ख - सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा		
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूँजीगत लेखा		
4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय		
	76	13000.00
	योग : 4202	13000.00
	योग : (क)	13000.00
(ख) स्वास्थ्य तथा कल्याण पर पूँजीगत लेखा		
4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय		
	31	28000.00
	योग : 4210	28000.00
	योग : (ख)	28000.00
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूँजीगत लेखा		
4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
	83	448.18
	योग : 4225	448.18
	योग : (ङ)	448.18
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण का पूँजीगत लेखा		
4235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
	49	3221.12
	योग : 4235	3221.12
	योग : (छ)	3221.12
	योग : ख -	44669.30
ग - आर्थिक सेवाओं के पूँजीगत लेखे		

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा		
4406 - वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	60	19609.97
	81	11.85
	83	408.72
योग : 4406		20030.54
4408 - खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय		
	21	303.00
योग : 4408		303.00
योग : (क)		20333.54
(ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा		
4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	14	16348.72
	81	277.10
	83	5541.94
योग : 4515		22167.76
योग : (ख)		22167.76
(ङ) उर्जा का पूंजीगत लेखा		
4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	09	627.05
योग : 4801		627.05
योग : (ङ)		627.05
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा		
5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	07	70000.00
	57	19697.50
	83	5302.50
योग : 5054		95000.00
योग : (छ)		95000.00
योग : ग -		138128.35
पूंजीगत लेखा		194322.65
ड - लोक ऋण		
6003 - राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	09	147.05
योग : 6003		147.05
ड - लोक ऋण		147.05

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
च - कर्ज तथा उधार		
6425 - सहकारिता के लिये कर्ज	18	3200.00
योग : 6425		3200.00
च - कर्ज तथा उधार		3200.00
योग : समेकत निधि		421085.40

अनुदान संख्या 007

उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

[वर्ष 2019-2020 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किस्त के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 55-64 व 4-5 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	176635.70	414934.07	591569.77
	भारित
प्रथम किस्त	मतदेय	7898.13	201500.00	209398.13
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	96094.00	81025.00	177119.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	280627.83	697459.07	978086.90
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2852 - उद्योग

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

20 - यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु हुडको से लिये गये ऋण के समयपूर्व भुगतान हेतु

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

96094.00

योग : 20

96094.00

योग : 800

96094.00

योग : 80

96094.00

योग : 2852

96094.00

योग : राजस्व लेखा

96094.00

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

02 - डिफेंस एक्सपो इण्डिया-2020

24 - बृहत् निर्माण कार्य

8681.00

	धनराशि
योग : 02	8681.00
योग : 800	8681.00
योग : 80	8681.00
योग : 4059	8681.00

4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800 - अन्य व्यय

02 - रनियां कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के उपचार एवं डिस्पोजल

24 - वृहत् निर्माण कार्य

	2344.00
योग : 02	2344.00
योग : 800	2344.00
योग : 4070	2344.00

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

03 - राज्य राजमार्ग

337 - सड़क निर्माण कार्य

04 - पूर्वांचल एक्सप्रेस - वे परियोजना

24 - वृहत् निर्माण कार्य

	50000.00
योग : 04	50000.00

06 - बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना

24 - वृहत् निर्माण कार्य

	20000.00
योग : 06	20000.00
योग : 337	70000.00
योग : 03	70000.00
योग : 5054	70000.00

योग : पूँजी लेखा

81025.00

योग : अनुपूरक

177119.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु हडको से लिये गये ऋण के समयपूर्व भुगतान हेतु रुपये 9609400000 की आवश्यकता ।
2. डिफेन्स एक्सपो इण्डिया-2020 के आयोजन हेतु रुपये 868100000 की आवश्यकता ।
3. रनियां, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के उपचार एवं डिस्पोजल हेतु रुपये 234400000 की आवश्यकता ।
4. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु रुपये 5000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

5. बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु रूपये 2000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 009

ऊर्जा विभाग

[वर्ष 2019-2020 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 75-88 व 8-9 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1723374.50	824766.00	2548140.50
	भारित	421512.57	315279.04	736791.61
प्रथम किश्त	मतदेय	60000.00	30536.22	90536.22
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	100000.00	627.05	100627.05
	भारित	9924.43	147.05	10071.48
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1883374.50	855929.27	2739303.77
	भारित	431437.00	315426.09	746863.09

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2049 - ब्याज अदायगियां

01 - आन्तरिक ऋण पर ब्याज

200 - अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज

03 - राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज

32 - ब्याज/लाभांश

मतदेय

--

भारित

677.72

योग : 03

मतदेय

--

भारित

677.72

04 - विद्युत वितरण निगमों की वित्तीय पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्गत बन्ध पत्रों पर ब्याज

0401 - दिनांक 06-01-2015 को निर्गत बन्ध पत्रों (रूपये 5270.13 करोड़ @ 8.68%) पर ब्याज

32 - ब्याज/लाभांश

मतदेय

--

भारित

2919.00

योग : 0401 - मतदेय

--

भारित

2919.00

0402 - दिनांक 21-05-2015 को निर्गत बन्ध पत्रों (रूपये 5270.13 करोड़ @ 8.44%) पर ब्याज

32 - ब्याज/लाभांश

मतदेय

--

भारित

2461.00

		धनराशि
योग : 0402	मतदेय	--
	भारित	2461.00
योग : 04	मतदेय	--
	भारित	5380.00

05 - विद्युत वितरण कंपनियों के ऑपरेशन एवं फाइनेशियल टर्न अराउण्ड योजना- "उदय" के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्गत प्रतिभूतियों पर ब्याज

0501 - वित्तीय वर्ष 2015-2016 में निर्गत प्रतिभूतियों (रूपये 24332.47 करोड) पर ब्याज

32 - ब्याज/लाभांश

	मतदेय	--
	भारित	3866.71
योग : 0501	मतदेय	--
	भारित	3866.71
योग : 05	मतदेय	--
	भारित	3866.71
योग : 200	मतदेय	--
	भारित	9924.43
योग : 01	मतदेय	--
	भारित	9924.43
योग : 2049	मतदेय	--
	भारित	9924.43

2801 - बिजली

05 - संचरण एवं वितरण

800 - अन्य व्यय

04 - उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. को क्षतिपूर्ति अनुदान

27 - सब्सिडी

		100000.00
योग : 04		100000.00
योग : 800		100000.00
योग : 05		100000.00
योग : 2801		100000.00
योग : राजस्व लेखा	मतदेय	100000.00
	भारित	9924.43

पूँजी लेखा-----

4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

05 - संचरण तथा वितरण

190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

		धनराशि
11 - "उदय" योजना के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए नियुक्त किये जाने वाले कन्सलटेन्ट के भुगतान हेतु		
30 - निवेश/ऋण		627.05
योग : 11		627.05
योग : 190		627.05
योग : 05		627.05
योग : 4801		627.05
6003 - राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण		
109 - अन्य संस्थाओं से कर्ज		
03 - राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु आर.ई.सी. से प्राप्त ऋण का प्रतिदान		
30 - निवेश/ऋण	मतदेय	--
	भारित	147.05
योग : 03		--
	भारित	147.05
योग : 109		--
	भारित	147.05
योग : 6003		--
	भारित	147.05
योग : पूँजी लेखा	मतदेय	627.05
	भारित	147.05
योग : अनुपूरक	मतदेय	100627.05
	भारित	10071.48

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज हेतु रुपये 67772000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत वितरण निगमों के वित्तीय पुनर्गठन की योजना (एफ.आर.पी., 2012) एवं उज्ज्वल डिस्कोम एश्योरेन्स योजना (उदय) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्गत प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान हेतु रुपये 924671000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. के क्षतिपूर्ति अनुदान हेतु रुपये 10000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. उदय योजना के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए नियुक्त किये जाने वाले कन्सलटेन्ट के भुगतान हेतु रुपये 62705000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु आर.ई.सी. से प्राप्त ऋण के प्रतिदान हेतु रुपये 14705000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 010

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)

[वर्ष 2019-2020 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 1-25 व 10 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	68044.01	1824.59	69868.60
	भारित	221.03	12.00	233.03
प्रथम किश्त	मतदेय	...	47.15	47.15
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	500.00	...	500.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	68544.01	1871.74	70415.75
	भारित	221.03	12.00	233.03

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2406 - वानिकी तथा वन्य जीव

02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव

112 - सार्वजनिक उद्यान

06 - फलदार पौधों का रोपण

02 - मजदूरी

162.00

43 - सामग्री एवं सम्पूति

338.00

योग : 06 500.00

योग : 112 500.00

योग : 02 500.00

योग : 2406 500.00

योग : राजस्व लेखा 500.00

योग : अनुपूरक 500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. फलदार बीजू पौधों के रोपण हेतु रूपये 50000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 011

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

[वर्ष 2019-2020 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किशत के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 27-72 व 11-12 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	535202.51	56539.74	591742.25
	भारित	20.05	...	20.05
प्रथम किशत	मतदेय	2900.00	...	2900.00
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	2500.00	...	2500.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	540602.51	56539.74	597142.25
	भारित	20.05	...	20.05

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2401 - फसल कृषि कर्म

113 - कृषि इंजीनियरी

06 - पराली प्रबंधन योजना

27 - सब्सिडी

2500.00

योग : 06

2500.00

योग : 113

2500.00

योग : 2401

2500.00

योग : राजस्व लेखा

2500.00

योग : अनुपूरक

2500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. एन.सी.आर. जनपदों के लिये पराली प्रबंधन योजना हेतु रुपये 250000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 014

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

(₹लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1876938.46	17538.54	1894477.00
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1884.83	16348.72	18233.55
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1878823.29	33887.26	1912710.55
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें

800 - अन्य व्यय

08 - राष्ट्रीय युवा उत्सव

42 - अन्य व्यय

1884.83

योग : 08

1884.83

योग : 800

1884.83

योग : 2070

1884.83

योग : राजस्व लेखा

1884.83

पूँजी लेखा-----

4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

101 - पंचायती राज

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

0104 - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) (के.60/रा.40-के.+रा.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य

16348.72

योग : 0104 -

16348.72

योग : 01

16348.72

योग : 101

16348.72

योग : 4515

16348.72

योग : पूँजी लेखा

16348.72

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. 23 वें राष्ट्रीय युवा उत्सव के आयोजन हेतु रुपये 188483000 की आवश्यकता ।
2. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हेतु रुपये 1634872000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 018

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

[वर्ष 2019-2020 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 167-178 व 16 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	57239.48	15448.04	72687.52
	भारित	1197.66	2489.77	3687.43
प्रथम किश्त	मतदेय	...	24000.00	24000.00
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	3200.00	3200.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	57239.48	42648.04	99887.52
	भारित	1197.66	2489.77	3687.43

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

6425 - सहकारिता के लिये कर्ज

195 - सहकारिताओं को कर्ज

03 - उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, लखनऊ को ऋण

30 - निवेश/ऋण

3200.00

योग : 03

3200.00

योग : 195

3200.00

योग : 6425

3200.00

योग : पूँजी लेखा

3200.00

योग : अनुपूरक

3200.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, लखनऊ को नाबार्ड से ऋण की देय किश्तों में भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 320000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 020
कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	11624.35	...	11624.35
	भारित	7243.58	100.00	7343.58
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय
	भारित	808.06	...	808.06
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	11624.35	...	11624.35
	भारित	8051.64	100.00	8151.64

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2051 - लोक सेवा आयोग

102 - राज्य लोक सेवा आयोग

03 - राज्य लोक सेवा आयोग

02 - मजदूरी

मतदेय	--
भारित	70.96

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

मतदेय	--
भारित	720.00

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

मतदेय	--
भारित	17.10

योग : 03	मतदेय	--
	भारित	808.06

योग : 102	मतदेय	--
	भारित	808.06

योग : 2051	मतदेय	--
	भारित	808.06

योग : राजस्व लेखा	मतदेय	--
	भारित	808.06

योग : अनुपूरक	मतदेय	--
	भारित	808.06

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राज्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के विभिन्न मदों हेतु रुपये 80806000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 021

खाघ तथा रसद विभाग

(₹लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	43452.11	1400688.47	1444140.58
	भारित	3.50	0.50	4.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	303.00	303.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	43452.11	1400991.47	1444443.58
	भारित	3.50	0.50	4.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4408 - खाघ भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय

01 - खाघ

101 - अधिप्राप्ति तथा पूर्ति

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0103 - फोर्टिफाइड राइस का वितरण (के. 75 / रा. 25 - के.+ रा.)

43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति

303.00

योग : 0103

303.00

योग : 01

303.00

योग : 101

303.00

योग : 01

303.00

योग : 4408

303.00

योग : पूँजी लेखा

303.00

योग : अनुपूरक

303.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राष्ट्रीय खाघ सुरक्षा अधिनियम-2013 व अन्य योजनाओं के अन्तर्गत जनपद चन्दौली में फोर्टिफाइड राइस के वितरण हेतु रुपये 30300000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 031

चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

[वर्ष 2019-2020 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 4)के पृष्ठ संख्या 1-44 व 20-22 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	362840.28	207141.07	569981.35
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय	...	8313.95	8313.95
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	28000.00	28000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	362840.28	243455.02	606295.30
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

03 - चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105 - एलोपैथी

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

0109 - मेडिकल कालेज, बिजनौर (के.60/रा.40-के.+रा.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य

2000.00

योग : 0109 -

2000.00

0110 - मेडिकल कालेज, कुशीनगर (के.60/रा.40-के.+रा.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य

2000.00

योग : 0110 -

2000.00

0111 - मेडिकल कालेज, सुल्तानपुर (के.60/रा.40-के.+रा.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य

2000.00

योग : 0111 -

2000.00

0112 - मेडिकल कालेज, गोण्डा (के.60/रा.40-के.+रा.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य

2000.00

	धनराशि
योग : 0112	2000.00
0113 - मेडिकल कालेज, ललितपुर (के.60/रा.40-के.+रा.)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	2000.00
योग : 0113	2000.00
0114 - मेडिकल कालेज, लखीमपुर खीरी (के.60/रा.40-के.+रा.)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	2000.00
योग : 0114	2000.00
0115 - मेडिकल कालेज, चन्दौली (के.60/रा.40-के.+रा.)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	2000.00
योग : 0115	2000.00
0116 - मेडिकल कालेज, बुलन्दशहर (के.60/रा.40-के.+रा.)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	2000.00
योग : 0116	2000.00
0117 - मेडिकल कालेज, सोनभद्र (के.60/रा.40-के.+रा.)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	2000.00
योग : 0117	2000.00
0118 - मेडिकल कालेज, पीलीभीत (के.60/रा.40-के.+रा.)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	2000.00
योग : 0118	2000.00
0119 - मेडिकल कालेज, औरैया (के.60/रा.40-के.+रा.)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	2000.00
योग : 0119	2000.00
0120 - मेडिकल कालेज, कानपुर देहात (के.60/रा.40-के.+रा.)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	2000.00

	धनराशि
योग : 0120	2000.00
0121 - मेडिकल कालेज, कौशाम्बी (के.60/रा.40-के.+रा.)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	2000.00
योग : 0121	2000.00
योग : 01	
	26000.00
22 - जे.के. इंस्टीट्यूट आफ रेडियोलॉजी एण्ड कैंसर रिसर्च, कानपुर	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	2000.00
योग : 22	2000.00
योग : 105	28000.00
योग : 03	28000.00
योग : 4210	28000.00
योग : पूँजी लेखा	28000.00
योग : अनुपूरक	28000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. जिला चिकित्सालयों को उच्चकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु 13 जनपदों- बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी के लिये प्रति जनपद रुपये 20.00 करोड़ अर्थात कुल रुपये 2600000000 की आवश्यकता ।
2. जे0 के0 इंस्टीट्यूट आफ रेडियोलॉजी एण्ड कैंसर रिसर्च, कानपुर के विभिन्न कार्यों हेतु रुपये 200000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 048

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

[वर्ष 2019-2020 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 179-198 व 40-42 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	245381.30	59322.07	304703.37
	भारित	1.80	...	1.80
प्रथम किश्त	मतदेय	2200.00	19500.00	21700.00
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	2085.00	...	2085.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	249666.30	78822.07	328488.37
	भारित	1.80	...	1.80

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

800 - अन्य व्यय

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0105 - तकनीकी माध्यमों से शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार (के.60/रा.40-के.+रा.)

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

2085.00

योग : 0105

2085.00

योग : 01

2085.00

योग : 800

2085.00

योग : 02

2085.00

योग : 2235

2085.00

योग : राजस्व लेखा

2085.00

योग : अनुपूरक

2085.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम. एस. डी. पी.) के अन्तर्गत तकनीकी माध्यम से शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु रुपये 208500000 की अतिरिक्त

आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 049

महिला एवं बाल कल्याण विभाग

[वर्ष 2019-2020 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 199-219 व 43 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	953614.73	8200.00	961814.73
	भारित	5.00	...	5.00
प्रथम किश्त	मतदेय	2000.00	...	2000.00
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	3221.12	3221.12
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	955614.73	11421.12	967035.85
	भारित	5.00	...	5.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

02 - समाज कल्याण

102 - बाल कल्याण

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0103 - आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य

3221.12

योग : 0103

3221.12

योग : 01

3221.12

योग : 102

3221.12

योग : 02

3221.12

योग : 4235

3221.12

योग : पूँजी लेखा

3221.12

योग : अनुपूरक

3221.12

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रदेश में अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु रुपये 322112000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 055
लोक निर्माण विभाग (भवन)

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	10334.20	7600.83	17935.03
	भारित	640.31	100.00	740.31
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	500.00	500.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	10334.20	8100.83	18435.03
	भारित	640.31	100.00	740.31

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60 - अन्य भवन

051 - निर्माण

05 - शासकीय भवनों के निर्माण कराये जाने के लिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट / आगणन हेतु

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

500.00

योग : 05

500.00

योग : 051

500.00

योग : 60

500.00

योग : 4059

500.00

योग : पूँजी लेखा

500.00

योग : अनुपूरक

500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. ई.पी.सी. मोड में भवन निर्माण कराये जाने के लिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट / आगणन तैयार किये जाने हेतु रुपये 50000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 057

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)

[वर्ष 2019-2020 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 6)के पृष्ठ संख्या 25-28 व 44-45 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	16956.00	168500.00	185456.00
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय	...	32058.00	32058.00
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	19697.50	19697.50
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	16956.00	220255.50	237211.50
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

101 - पुल

05 - रेलवे उपरिगामी सेतु

0517 - रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था

24 - बृहत् निर्माण कार्य

19697.50

योग : 0517

19697.50

योग : 05

19697.50

योग : 101

19697.50

योग : 04

19697.50

योग : 5054

19697.50

योग : पूँजी लेखा

19697.50

योग : अनुपूरक

19697.50

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर के अन्तर्गत उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु रुपये 1969750000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 060

वन विभाग

[वर्ष 2019-2020 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-21 व 50-51 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	87330.44	54357.54	141687.98
	भारित	13.70	...	13.70
प्रथम किश्त	मतदेय	...	11862.44	11862.44
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	19609.97	19609.97
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	87330.44	85829.95	173160.39
	भारित	13.70	...	13.70

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4406 - वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय

01 - वानिकी

102 - समाज तथा फार्म वानिकी

03 - समाजिक वानिकी (सी.सी.एल.)(जिला योजना)

24 - वृहत् निर्माण कार्य

14569.85

योग : 03

14569.85

05 - पौधशाला प्रबन्धन योजना (सी.सी.एल.प्रणाली)

24 - वृहत् निर्माण कार्य

2040.12

योग : 05

2040.12

योग : 102

16609.97

योग : 01

16609.97

02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव

111 - चिड़िया घर

09 - गोरखपुर में चिड़ियाघर की स्थापना

24 - वृहत् निर्माण कार्य

3000.00

योग : 09

3000.00

योग : 111

3000.00

	धनराशि
योग : 02	3000.00
योग : 4406	19609.97
योग : पूँजी लेखा	19609.97
योग : अनुपूरक	19609.97

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सामाजिक वानिकी (सी.सी.एल.) हेतु रूपये 125,00,00,000 तथा वित्तीय वर्ष 2018-2019 में उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति की धनराशि रूपये 20,69,85,000 को सम्मिलित करते हुये कुल रूपये 1456985000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. पौधशाला प्रबन्धन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 204012000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. गोरखपुर में चिडियाघर की स्थापना हेतु रूपये 300000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 061
वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I. मूल अनुदान	मतदेय	1503416.30	32045.55	1535461.85
	भारित	5271966.89	3219463.86	8491430.75
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1.00	...	1.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1503417.30	32045.55	1535462.85
	भारित	5271966.89	3219463.86	8491430.75

II. लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2052 - सचिवालय-सामान्य सेवायें

090 - सचिवालय

03 - वित्त विभाग

0305 - महालेखाकार कार्यालय में रक्षित राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन आदि से सम्बन्धित अभिलेखों का डिजिटाइजेशन

42 - अन्य व्यय

1.00

योग : 0305

1.00

योग : 03

1.00

योग : 090

1.00

योग : 2052

1.00

योग : राजस्व लेखा

1.00

योग : अनुपूरक

1.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. महालेखाकार कार्यालय, उ 0 प्र 0 में रक्षित राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन आदि से संबंधित अभिलेखों का डिजिटाइजेशन हेतु रुपये 100000 की व्यवस्था। आवश्यकतानुसार धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी।

अनुदान संख्या 066
वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

(₹लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I. मूल अनुदान	मतदेय	1885.16	...	1885.16
	भारित	21517.21	...	21517.21
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय
	भारित	884.80	...	884.80
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1885.16	...	1885.16
	भारित	22402.01	...	22402.01

II. लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2049 - ब्याज अदायगियां

03 - अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज

108 - बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज

03 - कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना पर ब्याज

32 - ब्याज/लाभांश

	मतदेय	--
	भारित	884.80
योग : 03	मतदेय	--
	भारित	884.80
योग : 108	मतदेय	--
	भारित	884.80
योग : 03	मतदेय	--
	भारित	884.80
योग : 2049	मतदेय	--
	भारित	884.80
योग : राजस्व लेखा	मतदेय	--
	भारित	884.80
योग : अनुपूरक	मतदेय	--
	भारित	884.80

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना पर देय ब्याज के भुगतान हेतु रूपये 88480000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 068

विधान सभा सचिवालय

[वर्ष 2019-2020 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 121-128 व 56-58 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	19963.98	456.32	20420.30
	भारित	143.20	1.00	144.20
प्रथम किश्त	मतदेय	453.51	225.98	679.49
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	500.00	...	500.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	20917.49	682.30	21599.79
	भारित	143.20	1.00	144.20

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

02 - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

103 - विधान मण्डल सचिवालय

03 - विधान सभा सचिवालय

08 - कार्यालय व्यय	20.00
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	120.00
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	40.00
42 - अन्य व्यय	320.00

योग : 03 500.00

योग : 103 500.00

योग : 02 500.00

योग : 2011 500.00

योग : राजस्व लेखा 500.00

योग : अनुपूरक 500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सी.पी.ए. इण्डिया रीजन कान्फ्रेंस के आयोजन हेतु रुपये 50000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 073

शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

[वर्ष 2019-2020 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 8)के पृष्ठ संख्या 47-67 व 68-70 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	261369.74	28298.10	289667.84
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय	15802.00	2500.00	18302.00
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1394.96	...	1394.96
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	278566.70	30798.10	309364.80
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2202 - सामान्य शिक्षा

03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

102 - विश्वविद्यालयों को सहायता

09 - सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व विद्यालय

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

500.00

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

894.96

योग : 09

1394.96

योग : 102

1394.96

योग : 03

1394.96

योग : 2202

1394.96

योग : राजस्व लेखा

1394.96

योग : अनुपूरक

1394.96

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी को वेतन मद में रुपये 8,94,96,000 एवं गैर वेतन मद हेतु रुपये 5,00,00,000 अर्थात कुल रुपये 139496000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 074

गृह विभाग (होमगार्डस)

[वर्ष 2019-2020 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 8)के पृष्ठ संख्या 69-74 व 71 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	108626.18	474.80	109100.98
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय	16000.00	...	16000.00
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	0.34	...	0.34
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	124626.52	474.80	125101.32
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें

107 - होमगार्डस

06 - विधान सभा निर्वाचन

02 - मजदूरी

0.34

योग : 06

0.34

योग : 107

0.34

योग : 2070

0.34

योग : राजस्व लेखा

0.34

योग : अनुपूरक

0.34

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. वित्तीय वर्ष 2017-2018 में होमगार्डस विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 34000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 076
श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	37272.11	5041.50	42313.61
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	13000.00	13000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	37272.11	18041.50	55313.61
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01 - सामान्य शिक्षा

202 - माध्यमिक शिक्षा

03 - अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना

42 - अन्य व्यय

13000.00

योग : 03

13000.00

योग : 202

13000.00

योग : 01

13000.00

योग : 4202

13000.00

योग : पूँजी लेखा

13000.00

योग : अनुपूरक

13000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु रुपये 1300000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 078

सचिवालय प्रशासन विभाग

[वर्ष 2019-2020 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किशत के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 35-46 व 74-75 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	107584.56	107.00	107691.56
	भारित
प्रथम किशत	मतदेय	300.00	1100.00	1400.00
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	500.00	...	500.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	108384.56	1207.00	109591.56
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2013 - मंत्रि परिषद्

105 - मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान

03 - मुख्य मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान

42 - अन्य व्यय

500.00

योग : 03

500.00

योग : 105

500.00

योग : 2013

500.00

योग : राजस्व लेखा

500.00

योग : अनुपूरक

500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. मुख्यमंत्री विवेकाधीन अनुदान हेतु रूपये 50000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 081

समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

[वर्ष 2019-2020 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 93-122 व 78-80 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	85835.45	14351.62	100187.07
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय	1030.87	...	1030.87
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1194.32	288.95	1483.27
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	88060.64	14640.57	102701.21
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

02 - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0101 - दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति(के.100/रा.0-के.)

21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन 836.80

योग : 0101 - 836.80

0111 - लघु वन उपजों के विपणन हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (के.75/रा.25-के.+रा.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 320.00

योग : 0111 - 320.00

योग : 01 1156.80

योग : 796 1156.80

योग : 02 1156.80

योग : 2225 1156.80

2403 - पशु पालन

796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना

06 - 100 % कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन हेतु मैत्री

	धनराशि
15 - गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0.02
18 - प्रकाशन	0.03
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1.80
43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति	0.60
44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.28

योग : 06 3.73

07 - पशु रोग नियंत्रण योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)

04 - यात्रा व्यय	0.30
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.12
18 - प्रकाशन	0.12
39 - औषधि तथा रसायन	32.19
42 - अन्य व्यय	0.60

योग : 07 33.33

योग : 796 37.06

योग : 2403 37.06

2406 - वानिकी तथा वन्य जीव

01 - वानिकी

796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनायें

0102 - नेशनल बैम्बू मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)

44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.46
--	------

योग : 0102 0.46

योग : 01 0.46

योग : 796 0.46

योग : 01 0.46

योग : 2406 0.46

योग : राजस्व लेखा 1194.32

पूँजी लेखा-----

4406 - वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय

01 - वानिकी

796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाये

0102 - नेशनल बैम्बू मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य

8.32

42 - अन्य व्यय

3.53

योग : 0102

11.85

योग : 01

11.85

योग : 796

11.85

योग : 01

11.85

योग : 4406

11.85

4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाए

0104 - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) (के.60/रा.40-के.+रा.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य

277.10

योग : 0104

277.10

योग : 01

277.10

योग : 796

277.10

योग : 4515

277.10

योग : पूँजी लेखा

288.95

योग : अनुपूरक

1483.27

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु रूपये 83680000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. लघु वन उपजों के विपणन हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य दिये जाने हेतु रूपये 32000000 की आवश्यकता ।
3. 100 प्रतिशत कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन हेतु नये मैत्री की उपलब्धता हेतु रूपये 373000 की आवश्यकता ।
4. पशु रोग नियंत्रण योजना हेतु रूपये 3333000 की आवश्यकता ।
5. नेशनल बैम्बू मिशन हेतु राजस्व पक्ष में रूपये 46,000 /- एवं पूँजी पक्ष में रूपये 11,85,000/- अर्थात् कुल रूपये 1231000 की आवश्यकता ।
6. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हेतु रूपये 27710000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 083

समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष

घटक योजना)

[वर्ष 2019-2020 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 131-205 व 81-83 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1742754.07	863078.35	2605832.42
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय	1170.00	8442.00	9612.00
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	143.96	11701.34	11845.30
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1744068.03	883221.69	2627289.72
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2403 - पशु पालन

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

11 - 100 प्रतिशत कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन हेतु मैत्री

04 - यात्रा व्यय	0.03
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0.07
18 - प्रकाशन	1.04
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	62.10
43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति	20.70
44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	43.97

योग : 11 127.91

योग : 789 127.91

योग : 2403 127.91

2406 - वानिकी तथा वन्य जीव

01 - वानिकी

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

0102 - नेशनल बैम्बू मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)

44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय

	धनराशि
	16.05
योग : 0102	16.05
योग : 01	16.05
योग : 789	16.05
योग : 01	16.05
योग : 2406	16.05
योग : राजस्व लेखा	143.96

पूँजी लेखा-----

4225 - अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियो तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0101 - उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अंशकों का क्रय (के.49/रा.51-के.+रा.)

30 - निवेश/ऋण 448.18

योग : 0101	448.18
योग : 01	448.18
योग : 789	448.18
योग : 01	448.18
योग : 4225	448.18

4406 - वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय

01 - वानिकी

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0102 - नेशनल बैम्बू मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य 287.11

42 - अन्य व्यय 121.61

योग : 0102	408.72
------------	--------

	धनराशि
योग : 01	408.72
योग : 789	408.72
योग : 01	408.72
योग : 4406	408.72

4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0104 - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) (के.60/रा.40-के.+रा.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य 5541.94

योग : 0104 5541.94

योग : 01 5541.94

योग : 789 5541.94

योग : 4515 5541.94

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

19 - रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यो के लिये एकमुश्त व्यवस्था

24 - वृहत् निर्माण कार्य 5302.50

योग : 19 5302.50

योग : 789 5302.50

योग : 04 5302.50

योग : 5054 5302.50

योग : पूंजी लेखा 11701.34

योग : अनुपूरक 11845.30

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. 100 प्रतिशत कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन हेतु नये मैत्री की उपलब्धता हेतु रुपये 12791000 की आवश्यकता ।
2. नेशनल बैम्बू मिशन हेतु राजस्व पक्ष मे रुपये 16,05,000 /- तथा पूंजी पक्ष में रुपये 408,72,000/- अर्थात कुल रुपये 42477000 की आवश्यकता ।
3. उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम अंशकों के क्रय हेतु रुपये 44818000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हेतु रुपये 554194000 की आवश्यकता ।

5. डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर के अन्तर्गत रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु रुपये 530250000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 086

सूचना विभाग

[वर्ष 2019-2020 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 217-228 व 86 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	48069.26	2200.00	50269.26
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय	5000.00	...	5000.00
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	5000.00	...	5000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	58069.26	2200.00	60269.26
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2220 - सूचना तथा प्रचार

60 - अन्य

101 - विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार

05 - अधिष्ठान

19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय

5000.00

योग : 05

5000.00

योग : 101

5000.00

योग : 60

5000.00

योग : 2220

5000.00

योग : राजस्व लेखा

5000.00

योग : अनुपूरक

5000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सूचना तथा प्रचार हेतु रूपये 500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।